न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—362/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/362)

1. श्री दर्पण चौहान पुत्र घनश्याम दास रेगर, निवासी रेगरान मौहल्ला, शिव चौक गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.09.2022 राजस्व वाद संख्या 83/2022 (2022/399).

उपस्थितः—

1. श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः— 02.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2022 (2022/399) में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में धारा 251 ए का प्रस्तुत कर निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया, अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, तथा कथन किया कि प्रार्थी को खेत खसरा संख्या 32 व 48 में जाने हेतु खसरा संख्या 416/168 में जो रास्ता बना हुआ है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है जबकि उक्त रास्ता मौके पर रिकार्ड में रास्ता अंकित नहीं है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अपने आदेश दिनांक 27.9.2022 के द्वारा अप्रार्थी की ग्राम सुरजपुरा के खसरा सख्या 416/168 रकबा 0.9814 किस्म दांती में से तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रस्तावित रास्ता 12 फिट चौड़ाई व 449 फिट लम्बाई का प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में पहुंचने तक का रखे जाने का आदेश दिया, तथा लम्बाई चौडाई अनुसार प्रभावित रकबे का वर्तमान डी.एल. सी. दर की दुगुनी राशि राजकोष में जमा करवाए जाने का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2022 (2022/399) में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रस्तुत जवाब व रिपोर्ट बाबत अपने निर्णय में अंकन करने के उपरांत 30 फिट का रास्ता नहीं देकर रास्ते की चौडाई 12 फिट रखने बाबत कोई विधिपूर्ण निष्कर्ष व कारण अंकित नहीं किया है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति या राज्य सरकार का रास्ते की चौडाई बाबत कोई आक्षेप भी नहीं था, इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने जो निर्णय पारित किया वह निरस्त योग्य है। 12 फिट का रास्ता किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं हो सकता है तथा अत्यंत ही संकीर्ण रास्ता है जबकि भूमि मौके पर खुली पडी है, प्रार्थी को रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु 30 फिट चौडाई का रास्ता दिया जाना विधिपूर्ण था परंतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने जो निर्णय पारित किया वह निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपने आवेदन में रास्ते बाबत 40 फिट चौडाई के रास्ते की मांग की, परंतु तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसमें 30 फिट चौडाई का रास्ता हेतु कथन किया, तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान 30 फिट चौडे रास्ते बाबत भूमि दिए जाने बाबत है। इस प्रकार जब विधिक प्रावधानों में जो अनुतोष दिया जाना वर्णित है, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा अपने पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने जो निर्णय पारित किया वह निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2022 में उन कारणों, आधारों का कुछ अंकित नहीं है जिसके आधार पर न्यायालय 12 फिट के रास्ते के निष्कर्ष पर पहूंचा है, तथा जो रास्ता दिया गया है वह किसी न्यायिक सोच का परिणाम नहीं होकर मनमाना निष्कर्ष है, इस कारण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने जो निर्णय पारित किया वह संशोधित किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2022 (2022/399) में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 को संशोधित किया जाकर वर्णित रास्ते की चौडाई 12 फिट के बजाए 30 फिट किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में अप्रार्थी तहसीलदार, ब्यावर ने अपने जवाब/रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2745 दिनांक 20.07.2022 में कथन किया कि ग्राम सूरजपूरा के खसरा नम्बर 416/168 किस्म दांती सिवायचक के लगती हुई भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाडिया नंगा खसरा नम्बर 32 व 48 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु ग्राम सूरजपुरा के सिवाचयक खसरा नम्बर 416/168 का उपयोग किया जाता है, जिसमें से 449 X 30 का रास्ता बनता है। मौके पर व रिकार्ड में रास्ता स्थित नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 32 व 48 में आने–जोन हेतु ग्राम सुरजपुरा के खसरा नम्बर 416/168 सिवायचक के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, ब्यावर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

ने अपने जवाब में रास्ता दिया जाना उचित बताया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रस्तावित रास्ता अनुसार 12 फिट चौडाई का तथा 449 फिट लम्बाई का प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुंचने तक का रखे जाने के आदेश दिए गए। अपीलांट/प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 12 फिट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराया गया है जिसके द्वारा वह अपनी खेत खसरा तक बिना असुविधा के कृषि कार्य कर सकता है इसलिए अपील के माध्यम से प्रार्थी/अपीलांट को 30 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2022 जो की आई.एल.आर., राजीयावास तथा पटवारी हल्का जैतगढ़ बमानिया द्वारा तैयार की गई है, जिसमें उनके स्वयं द्वारा यह माना गया कि "प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 32 व 48 में आने–जाने हेतु ग्राम सूरजपुरा के सिवायचक खसरा नम्बर 416/168 का उपयोग किया जा रहा है जिसमें से 449 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौड़ा रास्ता बनता है। मौके पर व राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है" इसके अतिरिक्त मौका पर्चा रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 5 में भी आई. एल.आर. एवं पटवार हल्का द्वारा यह अंकित किया गया है कि "प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम बाड़िया नंगा के खसरा संख्या 32 व 48 में आने–जाने हेतु ग्राम सूरजपुरा के खसरा नम्बर 417/168 सिवायचक के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है"। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है एवं मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। जब मौका रिपोर्ट तैयारकर्ता स्वयं यह मान रहे है कि प्रार्थी का 449 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौड़ा रास्ता बनता है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा नियमानुसार 30 फिट चौड़ा रास्ता क्यों स्वीकृत नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पातिर आदेश दिनांक 27.09.2022 में तहसीलदार, ब्यावर ने भी अपने जवाब में यह माना है कि प्रार्थी का 449 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौड़ा रास्ता बनता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल 12 फिट का रास्ता दिया जाकर यह कहीं भी विवेचन नहीं किया की प्रार्थी को 30 फिट चौड़ा रास्ता क्यों नहीं दिया जा सकता है। यदि प्रार्थी/अपीलांट को 30 फिट चौड़ा रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जाता तो प्रार्थी/अपीलांट विधिनुसार उसका प्रतिफल राजस्व कोष में जमा कराता जिससे राजकोष में वृद्धि होती और राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई क्षति भी कारित नहीं होती। उपरोक्त विवेचन के ⊥ क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 को संशोधित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2022 (2022/399) में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 को संशोधित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सूरजपुरा पटवारी हल्का जैतगढ़ बमानिया के खसरा संख्या 416/168 रकबा 0.9814 किस्म दांती में से तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रस्तावित रास्ता 30 फिट चौड़ाई तथा 449 फिट लम्बाई का प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 32 व 48 में पहुँचने तक का रखे जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त लम्बाई एवं चौड़ाई अनुसार प्रभावित रकबें का डी.एल.सी. की दर से दुगनी राशि के अनुसार तहसीलदार, ब्यावर द्वारा गणना की जावें तथा प्रार्थी/अपीलांट उक्त राशि राजकोष में जमा करावें। उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि में से रास्ते की नाप–चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखें में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रभावित भूमि में से रकबे को कम करते हुए शेष रकबा सम्बन्धित खातेदार/खातेदारान के हिस्से में यथावत् रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावें। यह आदेश प्रार्थी/अपीलांट द्वारा भूमि के प्रभावित क्षेत्रफल के वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि अनुसार भुगतान अदा किये जाने के पश्चात् लागू होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर